प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
एस.पी.एम.यू., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कानपुर, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, आगरा, बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / नर्सिंग सेल / 18 / 2015–16 / 10437 – 8 दिनांकः 13/2/2016

विषयः Strengthening of Pre-service Education and Midwifery कार्यक्रम के अंतर्गत कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स के कार्यालय के स्थापना, पी0ओ0एल0 / मोबिलिटी एवं विविध / ए0एम0सी0 हेतु अवमुक्त धनराशि के कियान्वयन सम्बंधी दिशा–निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि आर0एम0एन0सी0एच+ए0 गतिविधियों की गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने के लिये चिकित्सकों के अतिरिक्त ए0एन0एम0 एवं स्टॉफ नर्स की अहम् भूमिका है। प्रदेश के नवीन परिदृश्य में ए0एन0एम0 एवं स्टाफ नर्सों के प्रशिक्षण कार्यकम में तकनीकी बदलाव एवं गुणवत्तापरक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिये प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक तकनीक, उपकरणों से सुसज्जित कर सुदृढ़ किया जाना है।

परियोजना का उद्देश्यः

परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन को सुदृढ करने के उद्देश्य से कालेज ऑफ नर्सिंग, जी0एन0एम0 स्कूल्स एवं ए0एन0एम0टी0सी0 को सुदृढ़ करना है, जिससे की उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल्स सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षु नर्स / मिडवाईफ्स को प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास किया जा सके।

यह भी अवगत कराना है कि एफ0एम0आर0 मद संख्या ए.9.10.1 में रक्षित धनराशि में से निम्नविवरण के अनुसार धनराशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 28.01.2016 को अवमुक्त की जा चुकी है।

			मद (धनराशि लाख में)			
कम सं0	जनपद	सम्बंधित कालेज आफ नर्सिंग / जी0एन0एम0 स्कूल	नर्सिंग स्कूल के कार्यालय की स्थापना	क्षेत्र भ्रमण हेतु पी0ओ0एल0 प्रतिमाह (3 माह के लिए)	विविध खर्च (1 माह के लिए)	कुल योग
1.	गोरखपुर	जी0एन0एम0 स्कूल, गोरखपुर	1.50	0.75	0.075	2.325
2.	वाराणसी	बी0एच0यू0 कालेज आफ नर्सिंग, वाराणसी	1.50	0.75	0.075	2.325
3.	बरेली	जी0एन0एम0 स्कूल, बरेली	1.50	0.75	0.075	2.325
4.	मेरठ	एस0वी0बी0पी0,कालेज आफ नर्सिंग,मेरठ	1.50	0.75	0.075	2.325
5.	आगरा	जी0एन0एम0 स्कूल, आगरा	1.50	0.75	0.075	2.325
6	इलाहाबाद	जी0एन0एम0 स्कूल, इलाहाबाद	1.50	0.75	0.075	2.325
7	लखनऊ	जी0एन0एम0 स्कूल, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ	1.50	0.75	0.075	2.325
8.	कानपुर नगर	यू0एच0एम0, जी0एन0एम0 स्कूल, एल0एल0आर0, जी0एन0एम0 स्कूल एव कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर नगर	4.50	2.25	0.225	6.975
			कुल योग (रुपया तेइस लाख एवं पच्चसी हजार मात्र)			23.25

उपर्युक्त अवमुक्त धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सम्बंधित संस्थानो को अवमुक्त करने का कष्ट करें एवं दिशानिर्देश के अनुरुप गतिविधियाँ सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

1. **नर्सिंग स्कूल के कार्यालय की स्थापनाः**

कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स के कार्यालाय स्थापना हेतु एक मुश्त रू0 1.5 लाख प्रति स्कूल का प्राविधान किया गया है। जिसमें लगभग धनराशि रु0 55 हजार से कार्यालय के लिये एक–कम्प्यूटर, यू0पी0एस0, प्रिन्टर एवं स्कैनर तथा शेष धनराशि से कार्यालय की आवश्यकतानुसार एक–स्टील आलमारी 20 गेज की जिसमे कम से कम 4 रैक एवं 1 लॉक लगा हो (प्रस्तावित साइज–78''×36''×19''), एक–आर0ओ0/वाटर डिस्पेन्सर, एक–ए0सी0 2 टन, एक–डिस्प्ले बोड, दो–कार्यालय मेज 3 दराज वाली (प्रस्तावित साइज–48''×30''×30''), दो–कुर्सिया, छः–विजिटर चेयर एवं इन्टरनेट कनेक्शन (ब्रॉडबैंड) का कय के साथ इन्टरनेट कनेक्शन फिटिंग आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाये। कम्प्यूटर प्रिन्टर के स्पेशिफिकेशन पूर्व में आपको क्वालिटी एशोरेन्स सेल द्वारा उपलब्ध कराये गये है, तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

2. **प्रैक्टिकल एक्सपोज़र भ्रमण एवं जेनसेट हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्थाः**

नर्सिंग स्कूल के छात्र–छात्राओं को शिक्षा के दौरान प्रैक्टिकल एक्सपोज़र के लिये सामुदायिक क्षेत्र एवं क्लीनिकल प्रैक्टिस साइट भ्रमण कराया जाना पाठ्यकम का अभिन्न भाग है जिसके आभाव में प्रशिक्षण अधूरा रह जाता है एवं आई0एन0सी0 के निरीक्षण के समय कठिनाई होती है। अतः सामुदायिक/क्लीनिकल प्रैक्टिस साइट भ्रमण कराया जाना आवश्यक है एवं इस गतिविधि के लिए धनराशि रु0 25,000/– प्रतिमाह की दर से (जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक) कुल धनराशि रु0 75,000/– प्रति स्कूल स्वीकृत की गई है। प्रशिक्षण संस्थान उक्त धनराशि का उपयोग छात्र–छात्राओं के क्षेत्र भ्रमण के लिए संस्थान के वाहन हेतु पी0ओ0एल0 के लिए प्रयोग करेंगे। यदि संस्थान का अपना वाहन उपलब्ध नही है अथवा खराब है ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियामानुसार किराए पर टैक्सी परमिट वाहन का प्रयोग अनुमन्य होगा। उक्त मद में अनुमन्य धनराशि से आवश्यकतानुसार कार्यालय के जेनसेट हेतु पी0ओ0एल0 की भी व्यवस्था की जा सकती है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा कुल स्वीकृत धनराशि के 20 प्रतिशत प्रतिमाह से अधिक न हो।

3. **विविध/ए0एम0सी0 खर्चः**

नर्सिंग स्कूल मे विभिन्न गतिविधियों के कियान्वयन के लिये विविध मद में रू0 7500/– प्रतिमाह का प्रविधान किया गया है, जिसका प्रयोग नर्सिंग स्कूल द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावित मद जैसे– टेलीफोन/इन्टरनेट का मासिक बिल, विभिन्न जर्नल्स के मासिक/वार्षिक शुल्क हेतु, चेकलिस्ट प्रिन्टिग, ऑफिस स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज आदि एवं पूर्व से कियाशील उपकरणों की ए0एम0सी0 आदि मद मे किया जा सकता है।

4. **वित्तीय व्यवस्था**

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
3. सम्बंधित कालेज ऑफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यु का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

5. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार को आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशानिर्देशानुसार निर्धारित धनराशि अपने जनपद के सम्बंधित नर्सिंग स्कूल को तत्काल अवमुक्त कर समस्त गतिविधियाँ ससमय सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

13/2/16

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांक : एस.पी.एम.यू. / नर्सिंग सेल / 18 / 2015–16 / तद्दिनांक 13/2/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सम्बंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य सोसायटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रधानाचार्य, सम्बंधित कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सम्बंधित मण्डलीय / जनपदीय परियोजना प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. राज्य प्रतिनिधि जपाइगो, लखनऊ।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक